

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 05/2017 श्री लीलाधर बनाम कन्हैयालाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-05-2018	<p>वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। जी.ए. उपस्थित। हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रिकॉर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्त की पूर्वज सुन्दरबाई द्वारा विवादित भूमियां उसके पिता मोरूष ऊंकारलाल के समय की होना वर्णित करते हुए पुत्री के रूप में उसे वंचित कर दिये जाने के कारण रेकार्डेड विपक्षीगण खातेदार को उक्त भूमियों को विक्रय नहीं किये जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा चाहिए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11-1-2017 से उक्त भूमियों के मोरूषी यानि ऊंकारलाल से उक्त भूमियां आने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन खारिज कर दिया। अपीलान्त व उनकी पूर्वज द्वारा अधिनस्थ न्यायालय व इस न्यायालय में भूमियों के मोरूषी होने अथवा भूमियों के मोरूष ऊंकार जी के समय से चले आने की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे अपीलान्त का प्रथम दृष्टया प्रकरण माने जाने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतएव सुविधा का संतुलन व अपूर्ण्य क्षति के सिद्धान्त भी अपीलान्त के पक्ष में नहीं माने जा सकते। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।</p> <p>अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11-1-2017 यथावत रखा जाता है।</p> <p>पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15-05-2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(एल.एन. मंत्री ) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</p>	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 05/2017 श्री लीलाधर **बनाम** कन्हैयालाल

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 05/2017 श्री लीलाधर **बनाम** कन्हैयालाल

--	--	--

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 05/2017 श्री लीलाधर **बनाम** कन्हैयालाल

---


## डिगरी व सीगे अपील

( ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. ....मुकाम .....  
उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता  
श्री कालूलाल नादा निवासी  
पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल  
के पास शोभागपुरा स्कूल के सामने  
तहसील गिर्विा जिला उदयपुर

**बनाम** श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल  
कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा  
उदयपुर (राज0)  
अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत ..... सहायक कलक्टर मु0.....  
..... उदयपुर ..... मुकाम मुखर्षे.....27..... माह .....02..... 1993

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... 15..... माह .....06..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व  
हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास ..... मिनजानिब अपीलान्त व .....श्री संजय बोहरा ....  
..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्त दूषित  
(Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक  
27-2-1993 यथावत रखा जाता है।

( खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा  
करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....15..... माह ...06..... 2016 को  
जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री )  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

## खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .....					
2. स्टाम्प वकालत नामा.....					
3. इजराय हुक्मनामा .....					
4. वकील फीस बाबत .....					
मीजान .....					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये  
दिलाया गया हो।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Raj-D 05/2017 श्री लीलाधर **बनाम** कन्हैयालाल

---

## डिगरी व सीगे अपील

( ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. ....मुकाम .....  
उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी  
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा  
जिला उदयपुर (राज0)  
अन्य -2

**बनाम** श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल  
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा  
जिला उदयपुर (राज0)  
अन्य-6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत .....भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी .....उदयपुर ..... मुकाम मुखर्चे.....08.....  
माह .....07..... 2015

### दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... 25..... माह .....05..... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व  
हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी ..... मिनजानिब अपीलान्त व .....श्री .....  
..... रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि ..... प्रकरण में  
वकील अपीलान्त द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा-152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन  
किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण  
संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8-7-2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.  
800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर  
आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

( खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिंग ....X.... रूपये..... X .....अदा  
करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14..... माह ...06..... 2016 को  
जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री )

भू-प्रबन्ध अधिकारी

एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उदयपुर

### खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .....					
6. स्टाम्प वकालत नामा.....					
7. इजराय हुक्मनामा .....					
8. वकील फीस बाबत .....					
मीजान .....					

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये  
दिलाया गया हो।